हापुड़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर दिनांक:- 06-12-2024

"थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने ब्लाइन्ड मर्डर का किया खुलासा"

- थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम ने करीब 09 दिन पूर्व घटित सोनू हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार।
- जिनके कब्जे/निशानदेही से आलाकत्ल कुल्हाड़ी व घटना में प्रयुक्त लकड़ी की बुग्गी, एक मोबाइल फोन, प्लास्टिक की पल्ली तथा मृतक पवन का एक मोबाइल फोन व एक बाइक बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्त अन्नू ने अपने साथी राजपाल उर्फ राजू के साथ मिलकर अपनी पत्नी से अवैध सम्बन्धों के शक में की थी सोनू की हत्या।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26-11-2024 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत बृजघाट में वन विभाग पानी प्लांट के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की शिनाख्त सोनू शर्मा पुत्र सूरज शर्मा निवासी बृजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ के रूप में हुई थी तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 634/24 धारा 103(1), 238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी व घटना में प्रयुक्त लकड़ी की बुग्गी, प्लास्टिक की पल्ली, 02 मोबाइल व एक बाइक बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः- दण्डी स्वामी गौशाला बृजघाट।

हत्या का कारणः-

गिरफ्तार अभियुक्त अन्नू ने पूछताछ करने पर बताया कि सोनू शर्मा का मेरे घर आना जाना था, इसी दौरान सोनू शर्मा का मेरी पत्नि के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था, सोनू शर्मा ने मेरी पत्नि से कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं अन्नू को जान से मार दूगां और तुम्हे पूरा खर्चा दूगां, यह बात मुझे मेरी पत्नि ने बताई जिसकी मुझे जानकारी हुई तो मैंने अपने दोस्त राजपाल उर्फ राजू के साथ मिलकर सोनू की हत्या करने की योजना बनाई, दिनाक 25.11.024 को हम तीनों ने दण्डी गौशाला मे बैठकर शराब का सेवन किया तथा नशा होने पर राजू ने सोनू को बातों मे लगाकर रखा और मैने कमरे मे रखी कुल्हाडी से सोनू के सिर मे वार कर हत्या कर दी तथा सोनू शर्मा के शव को गौशाला की गोबर वाली बुग्गी मे छिपाकर वन विभाग के जंगल मे फेंक दिया था। मेरे पास से जो मोबाईल बरामद हुए हैं उसमे एक मेरा है तथा दूसरा पवन पुत्र राजेन्द्र निवासी यादव चौक गाडी चौखण्डी थाना फेस 3 जनपद गौतमबुद्धनगर के नाम के व्यक्ति का है जिसको सोनू शर्मा ने अपने साथी गौतम पुत्र मुनेन्द्र शर्मा निवासी दरियापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा के साथ मिलकर कुछ दिन पहले मारकर उसके शव को थाना गजरौला क्षेत्र गंगा पार बन्दे के पास पानी मे फैंक दिया था और उसकी मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस व एक मोबाईल लेकर आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.अन्नू बाल्मीकि पुत्र रामदास निवासी ग्राम सिसोना थाना बहजोई जनपद सम्भल, हाल निवासी दण्डी स्वामी वाली गौशाला कस्बा ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

2. राजपाल उर्फ राजू पुत्र जसमाल निवासी ग्राम सुतारी खुर्द थाना सैद नगली जनपद अमरोहा, हाल निवासी अरुण वकील की धर्मशाला कस्बा ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक कुल्हाडी (आला कत्ल), घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक की पल्ली, लकड़ी की बुग्गी व एक मोबाईल फोन (सम्बन्धित मु0अ0स0 634/24 धारा 103(1), 238 बीएनएस थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़)।

2. मृतक पवन का एक मोबाइल व एक मोटर साईकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.नि0 श्री नरेश कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

2. उ0नि0 श्री मौ0 परवेज थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

3. उ0नि0यूटी श्री अंकित कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

4.हे0का0 673 हासिम अली थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

5. हे0का0 162 संजय़ थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

6. हे0का0 307 कंचन थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

7. का0 213 अक्षय कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।